

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.
दायर दिनांक: 15.05.2023

प्रकरण सं० 26/2023
रजि० नं०-2023/62

उनवान

1. बुंदेला आयु 56 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति रेगर निवासी मोतीपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज)
2. लेखराज आयु 50 वर्ष पुत्र कुन्दे जाति जाटव निवासी गावडा मीना तहसील हिन्दोन सिटी जिला करोली (राज०)।

वादीगण

बनाम

1. छोटीबाई पुत्री औकार जाति चमार (मेघवाल निवासी अटरू तहसील अटरू
2. राधेश्याम पुत्र औकार जाति चमार (मेघवाल) निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
3. वंदना पुत्री राजेन्द्र प्रसाद जाति जाटव निवासी खेडलीगंज तहसील अटरू हाल निवासी 11 मीना कॉलोनी ईमलीबाला फाटक लाल कोटी जयपुर (राज०)
4. देवीलाल पुत्र गणेशराम जाति बागडी निवासी छत्रपुरा बून्दी तहसील बून्दी जिला बून्दी (राज०)
5. शाखा प्रबन्धक महोदय सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
6. राजस्थान सरकार तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :-

वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा

निर्णय

दिनांक 03/08/2023

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादीगण उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था

जिसमें ग्राम अटरू की खाता संख्या 614 का ख0 नं0 510 रकबा 0.63 है0 एवं खाता संख्या 609 का ख0नं0 509 रकबा 1.52 है0 भूमि का निर्णय दिनांक 31.07.2023 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार अटरू से दोनों पक्षों की उपस्थिति में हिस्से अनुसार कब्जा काश्त के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था जिसकी अनुपालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/1559 दिनांक 02.08.2023 से विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया है जिससे अभिभाषक वादीगण सहमत है।

अतः ग्राम अटरू की खाता संख्या 614 का ख0 नं0 510 रकबा 0.63 है0 एवं खाता संख्या 609 का ख0नं0 509 रकबा 1.52 है0 भूमि का तहसीलदार अटरू द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

- I. बुन्देला पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/2 जाति रेगर सा. मोतीपुरा तहसील छबडा, लेखराज पुत्र कुन्दे हिस्सा 1/2 जाति जाटव सा. गावडा मीना तहसील हिण्डौन सिटी जिला करोली के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी-

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
510	0.25 है0	माल 1	3.00	पश्चिम
किता 1	0.25 है0	-	3.00	

- II. छोटीबाई पुत्री औंकार जाति चमार सा. देह हिस्सा 7/38, राधेश्याम पुत्र औंकार जाति चमार सा. देह हिस्सा 7/38, वन्दना पुत्री राजेन्द्र प्रसाद जाति जाटव सा. खेडलीगंज हिस्सा 12/19 रहन सीबीआई अटरू हिस्सा राधेश्याम के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी -

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
510	0.38 है0	माल 1	4.56	पूर्व
किता 1	0.38 है0	-	4.56	

- III. बुन्देला पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/2 जाति रेगर सा. मोतीपुरा तहसील छबडा, लेखराज पुत्र कुन्दे हिस्सा 1/2 जाति जाटव सा. गावडा मीना तहसील हिण्डौन सिटी जिला करोली के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी-

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
509	0.38 है0	माल 1	4.56	दक्षिण
किता 1	0.38 है0	-	4.56	

- IV. देवीलाल पुत्र गणेशराम हिस्सा 2/3 जाति बागरी सा. छत्रपुरा बून्दी, वन्दना पुत्री राजेन्द्र प्रसाद हिस्सा 1/3 जाति जाटव सा. खेडलीगंज के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी –

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
509	1.14 है0	माल 1	13.68	
किता 1	1.14 है0	—	13.68	

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 26/2023

दायर दिनांक: 15.05.2023

रजि0 नं0-2023/62

उनवान

1. बुंदेला आयु 56 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति रेगर निवासी मोतीपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज)
2. लेखराज आयु 50 वर्ष पुत्र कुन्दे जाति जाटव निवासी गावडा मीना तहसील हिन्दोन सिटी जिला करोली (राज0)।
वादीगण

बनाम

1. छोटीबाई पुत्री औकार जाति चमार (मेघवाल निवासी अटरू तहसील अटरू
2. राधेश्याम पुत्र औकार जाति चमार (मेघवाल) निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
3. वंदना पुत्री राजेन्द्र प्रसाद जाति जाटव निवासी खेडलीगंज तहसील अटरू हाल निवासी 11 मीना कॉलोनी ईमलीबाला फाटक लाल कोटी जयपुर (राज0)
4. देवीलाल पुत्र गणेशराम जाति बागडी निवासी छत्रपुरा बून्दी तहसील बून्दी जिला बून्दी (राज0)
5. शाखा प्रबन्धक महोदय सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
6. राजस्थान सरकार तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :-

वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा

मिनजानित मुदई रुबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम अटरू की खाता संख्या 614 का ख0 नं0 510 रकबा 0.63 है0 एवं खाता संख्या 609 का ख0नं0 509 रकबा 1.52 है0 भूमि का तहसीलदार अटरू द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

- I. बुन्देला पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/2 जाति रेगर सा. मोतीपुरा तहसील छबड़ा, लेखराज पुत्र कुन्दे हिस्सा 1/2 जाति जाटव सा. गावडा मीना तहसील हिण्डौन सिटी जिला करोली के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी-

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
510	0.25 है0	माल 1	3.00	पश्चिम
किता 1	0.25 है0	-	3.00	

- II. छोटीबाई पुत्री औकार जाति चमार सा. देह हिस्सा 7/38, राधेश्याम पुत्र औकार जाति चमार सा. देह हिस्सा 7/38, वन्दना पुत्री राजेन्द्र प्रसाद जाति जाटव सा. खेडलीगंज हिस्सा 12/19 रहन सीबीआई अटरू हिस्सा राधेश्याम के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी -

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
510	0.38 है0	माल 1	4.56	पूर्व
किता 1	0.38 है0	—	4.56	

- III. बुन्देला पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/2 जाति रेगर सा. मोतीपुरा तहसील छबडा, लेखराज पुत्र कुन्दे हिस्सा 1/2 जाति जाटव सा. गावडा मीना तहसील हिण्डौन सिटी जिला करोली के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी—

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
509	0.38 है0	माल 1	4.56	दक्षिण
किता 1	0.38 है0	—	4.56	

- IV. देवीलाल पुत्र गणेशराम हिस्सा 2/3 जाति बागरी सा. छत्रपुरा बून्दी, वन्दना पुत्री राजेन्द्र प्रसाद हिस्सा 1/3 जाति जाटव सा. खेडलीगंज के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी —

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
509	1.14 है0	माल 1	13.68	
किता 1	1.14 है0	—	13.68	

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 03.08.2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)